

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज.)

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज

17/11/2025

प्राथमिक रूप से एवं इनके अधिवक्ता द्वारा प्राप्त
 प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तारीख 17/11/25
 में तलब की गयी। प्राथमिक कारण प्रार्थना पत्र
 में पत्रावली बिंदु दिए जाने का अधिवक्ता
 दिए जाने बावत निवेदन किया। निवेदन को
 किता जाना है। प्राथमिक कारण पत्रावली की
 आगे नहीं चलाये जाने से इसी स्तर पर
 पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली
 फौजदारी नम्बर से अर्ज
 दायित्व दफ्तर है।

किता जाना

(Signature)

(रामराजभाऊ)

उपखण्ड अधिकारी
 नैनवां (बून्दी)